DLF LIMITED

DLF Gateway Tower, R Block, DLF City Phase – III, Gurugram – 122 002, Haryana (India)

Tel.: (+91-124) 4396000, investor-relations@dlf.in



17th July 2024

To,
The General Manager
Dept. of Corporate Services

BSE Limited
P.J. Tower, Dalal Street,

To,
The Vice-President
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai 400 001 Mumbai-400051

Sub: Newspaper Publication

Dear Sir/Madam,

In compliance with Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, kindly find enclosed herewith copies of Newspaper publication regarding Notice to shareholders for transfer of equity shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

This is for your kind information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully, For **DLF Limited**

R. P. Punjani

Company Secretary

Encl.: As above

For Stock Exchange's clarifications, please contact:-Mr. R. P. Punjani – 09810655115 / <u>punjani-rp@dlf.in</u> Mr. Amit Kumar Sinha - 09810988710/ sinha-amit@dlf.in

FINANCIAL EXPRESS

F LIMITED

-4334200 rw.dlf.in; Email : investor-relations@dlf.i



NOTICE

For transfer of shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (As per Section 124(6) of the Companies Act, 2013)

This notice is published pursuant to the applicable provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund), Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ('the IEPF Rules') and provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the IEPF Rules, contains provisions for transfer of unclaimed dividend for the financial year 2016-17 and transfer of shares, in respect of which dividend remains unclaimed for seven consecutive years or more to the IEPF Authority.

In compliance with the IEPF Rules and Act, individual communication has multaneously been sent to all the Shareholders to the latest available address whose dividend amount(s) remains unpaid/ unclaimed for seven consecutive years and whose equity shares are liable to be transferred to IEPF Authority.

The Company has also uploaded the details of all such shareholders along with details of shares due for transfer to IEPF Authority on its Website at https://www.dlf.in/investor. The shareholders can verify the details via their DP ID/ Client ID/ PAN No./ Folio No.

The shareholders are advised to claim such unclaimed dividend amount(s) on or before 28th October 2024 from the Company.

In case the Company or KFin Technologies Limited, Company's Registrar and Share Transfer Agent ('KFin/ RTA') does not receive any communication from the concerned shareholder on or before 28th October 2024, the unclaimed dividend amount(s) for FY 2016-17 will get transferred to the IEPF. Further, the equity shares eligible to be transferred to the IEPF Authority, would also be transferred to IEPF without any further notice to the shareholders in the following manner: In this Connection, please note the following:

- In case you hold shares in physical form New share certificate(s) will be issued in lieu of the original share certificate(s) held by you for the purpose of dematerialization and transfer of equity shares in favour of IEPF Authority on completion of necessary formalities. Hence, the Original share certificate(s) which stand registered in your name will be deemed cancelled and non-negotiable.
- In case you hold shares in electronic form The Company shall inform the Depository by way of corporate action for transfer of equity shares lying in your demat account in favour of IEPF Authority.

The concerned shareholders are requested to note that all future benefits arising on such equity shares transferred to IEPF Authority will also be issued/ transferred in favour of the IEPF Authority in compliance with the provisions of the Act and IEPF Rules.

The shareholders may further note that the details of unclaimed dividend amount and equity shares of the concerned shareholder(s) uploaded by the Company on its website at https://www.dlf.in/investor shall be treated as an adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of equity shares to IEPF Authority pursuant to the IEPF Rules.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the dividend amount(s)/ equity shares of the Company once transferred to IEPF Authority.

The concerned shareholder, whose unclaimed dividend amount(s)/ equity shares is transferred to IEPF Authority, can claim the same from IEPF Authority by submitting an online application in the prescribed Web Form IEPF-5 after obtaining entitlement letter from the Company and sending a physical copy of the same along with requisite documents enumerated in the Form IEPF-5 to the Company.

In case the shareholders have any queries on the subject and the IEPF Rules, they may write to the Company at investor-relations@dlf.in or contact Mr. Rajkumar Kale, Assistant Vice President, Company's RTA at Selenium Building, Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad — 500032, Telangana: Toll Free No. 1800 3094 001- Email: einward.ris@kfintech.com. Website: www.kfintech.com.

For DLF LIMITED

July 16 2024 Gurugram

(R.P. Punjani) Company Secretary & Nodal Office FCS: 3757



सौसम तापमान नई दिल्ली अधिकतम-37:0 न्यूनतम- 26:6

सूर्यास्त- ०७:३०

|3

जनसता

17 जुलाई, 2024

डीएलएफ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः शॉपिंग मॉल, तीसरा तल, अर्जुन मार्ग फेस—J, डीएलएफ सिटी, गुरूग्राम — 122 002 (हेरियाणा) CIN: L70101HR1963PLC002484 फोन: +91-124-4334200 वेबसाइट: www.dlf.in; ईं—मेल: investor-relations@dlf.in



सूचना

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को शेयरों का स्थानांतरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार)

यह सूचना विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 और उस पर अनुवर्ती संशोधन ("आईईपीएफ नियम") के लागू प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित आईईपीएफ नियमों जिसमें आईईपीएफ प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिए अदावाकृत लाभांश के स्थानांतरण और उन शेयरों के रथानांतरण के प्रविधान शामिल हैं जिसके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक अदावाकृत है।

आईईपीएफ नियमों और अधिनियम के अनुपालन में सभी शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर एक साथ व्यक्तिगत संचार भेजा गया है जिनकी लाभांश राशि लगातार सात वर्षों तक भुगतान/दावा नहीं की गई है और जिनके इक्विटी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित किए जाने के लिए योग्य हैं।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट https://www.dlf.in/investor पर आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतिरत किए जाने के लिए देय शेयरों के विवरणों के साथ ऐसे सभी शेयरधारकों का विवरण अपलोड भी किया है । शेयरधारक अपने डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी / पैन नं. / फोलियो नं. के माध्यम से विवरणों का सत्यापन कर सकते हैं।

. शेयरघारकों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी से 28 अक्टूबर 2024 तक या उससे पहले ऐसी दावा न की गई लागांश राशि का दावा करें।

यदि कंपनी या केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शैयर ट्रांसफर एजेंट ('केफिन/आरटीए') को 28 अक्टूबर 2024 तक या उससे पहले संबंधित शेयरधारक से कोई सूचना नहीं मिलती है तो वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दावा न की गई लामांश राशि आईसीएफ को स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा, आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित करने के योग्य इिवटी शेयर भी शेयरधारकों को बिना किसी अन्य सूचना के निम्नलिखित तरीके से आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिये जाएंगे:

इस संबंध में कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:

- भौतिक प्राष्ठ्य में घारित शेयरों के मामले में— आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में इक्विटी शेयरों के अभौतिकीकरण और स्थानांतरण के उद्देश्य से आपके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में नया शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इस प्रकार, आपके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र रह और गैर—परक्राम्य माना जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में घारित शेयरों के मामले में कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में आपके डीमैट खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के स्थानांतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित ऐसे इक्विटी शेयरों पर उत्पन्न होने वाले सभी भविष्य के लाभ भी अधिनियम और आईईपीएफ नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में जारी/स्थानांतरित किए जाएंगे।

शेयरधारक यह भी नोट करें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट https://www.dlf.in/investor पर अपलोड किए गए संबंधित शेयरधारकों के अदावाकृत लाभांश राशि और इक्विटी शेयरों का विवरण आईईपीएफ नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों के स्थानांतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सचना के रूप में माना जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि एक बार आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित होने के बाद कंपनी की लाभांश राशि / इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा। संबंधित शेयरधारक जिनकी दावा न की गई लाभांश राशि / इक्विटी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिए गए हैं वह कंपनी से पात्रता पत्र प्राप्त करने के बाद निर्धारित वेब फॉर्म आईईपीएफ—5 में ऑनलाइन आवेदन जमा करके आईईपीएफ प्राधिकरण के पास इसका दावा कर सकते हैं। कंपनी के पास फॉर्म आईईपीएफ—5 में दिए गए आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसकी भौतिक प्रतिलिपि जमा करनी होगी।

इस विषय और आईईपीएफ नियमों पर किसी भी पूछताछ के लिए शेयरधारक कंपनी को investor-relations@dlf.in पर लिख सकते हैं या श्री राजकुमार काले, सहायक उपाध्यक्ष, कंपनी के आरटीए से सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32, गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद—500032, तेलंगाना टोल फ्री नं. 18003094 001- ई—मेलः einward.ris@kfintech.com वेबसाइट www.kfintech.com से संपर्क कर सकते हैं।

कृते डीएलएफ लिमिटेड

हस्ता / – (आर.पी. पुंजानी)

(आर.पा. पुषाना) १ 2024 कंपनी सचिव एवं नोडल अधिकारी एफसीएस: 3757

16 जुलाई 2024 गरूग्राम